



विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

अनिर्बाण घोष

प्रभारी : वि.भा. अं.अ.कें.

19/CFLIS/2016/जावक क्रं./ 364

दिनांक : 09/08/2016

सूचना

विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि अपने विभाग में प्रवेशित एम.ए. के समस्त विद्यार्थियों को आदेशित करें कि एम.ए. आधार भाषा में जो छात्र विदेशी भाषा (स्पैनिश/फ्रेंच/चीनी/जापानी) लेना चाहते हैं। उनकी काउंसलिंग भाषा विद्यापीठ कक्ष सं. 05, दिनांक 11/08/2016 अपराह्न 3:00 बजे आयोजित होगी।

A. Shrogh
(अनिर्बाण घोष)

प्रतिलिपि :

1. समस्त विभाग/केंद्र
2. अकादमिक विभाग
3. लीला 'विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु'
4. सूचना पट्ट